न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन
पीठासीन अधिकारी–श्री पुखराज सेन, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या– 48/2024
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2024/147

प्रार्थी		अप्रार्थी
रामलाल जाट, प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन), जिला रसद कार्यालय, डीडवाना–कुचमान।	बनाम	1. श्री संजय खान पुत्र श्री मोहम्मद सलीम निवासी डीडवाना 2. श्री आजाद खान पुत्र श्री निवाज खान निवासी डीडवाना मैसर्स मुगलई जायका डीडवाना।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए. सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 में जब्तसुदा सामग्री के निस्तारण बाबत्।

उपस्थितः–
1. श्री रामलाल जाट प्रवर्तन निरीक्षक प्रार्थी की ओर से
2. श्री असलम खां वकील अप्रार्थी की ओर से

–:आदेशः– दिनांकः 11.11.2024

प्रवर्तन निरीक्षक, जिला रसद अधिकारी डीडवाना द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के पत्रांक एफ. 65 (1) खावि/एलपीजी/2024 दिनांक 10.09.2024 की पालना में घरेलू गैस के अवैध भण्डारण/व्यापार/दुरूपयोग के विरूद्ध अभियान के तहत दिनांक 26.09.2024 को श्री ओमेन्द्र कुमार प्रवर्तन निरीक्षक एवं सुश्री मनीषा गुर्जर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा डीडवाना शहर में कायम नगर स्थित मैसर्स मुगलई जायका होटल पर आकस्मिक जांच की कार्यवाही की। मौके पर श्री संजय खान पुत्र श्री मोहम्मद सलीम खान निवासी डीडवाना उपस्थित मिले, जिन्होने दुकान का निरीक्षण करवाया एवं बताया कि यह प्रतिष्ठान मै और श्री आजाद खां पुत्र श्री निवाज खान संयुक्त रूप से संचालित करते हैं मौके पर दुकान में 03 [illegible] गैस सिलेण्डर व्यसायिक दुरूपयोग/भण्डारण किये हुए पाये गये। [illegible] खान से घरेलू गैस के भण्डारण एवं विक्रय से सम्बन्धित किसी [illegible] अनुज्ञापत्र के बारे में पुछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण से सम्बन्धित किसी प्रकार [illegible] आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना अपने बयान में स्वीकार किया। [illegible] खान

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन

द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नही करने पर भण्डारित/दूरूपयोग किये गये 03 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस.आर.नं.	गैस वजन
1.	एचपीसीएल	909199	0
2.	एचपीसीएल	62133–S	3 किग्रा
3.	एचपीसीएल	2436059	0

उपरोक्त 03 घरेलू रसोई गैस को मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स अस्मा गैस सर्विस डीडवाना के प्रतिनिधि श्री अशोक की सुपुर्दगी में दिय गये।

इस प्रकार श्री संजय खान का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, – 2000 के क्लॉज 3 (c), 7(1)(a),(b),(c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण में जब्तसुदा 3 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (confiscaion) के आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से वकील श्री असलम खां ने वकालतनामा पेश किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। प्रवर्तन निरीक्षक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि होटल संचालक श्री संजय खां के होटल पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर प्राप्त हुए। श्री संजय खां के पास जांच के समय किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं पाए गए व संजय खां ने आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं करने पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किये गये। जब्त किये गये सिलेण्डर मैसर्स असमा गैस सर्विस के प्रतिनिधि श्री अशोक को प्रकरण में निर्णय होने तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्द किये गये। अतः प्रकरण में जब्तसुदा घरेल गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत समपहरण (Confisacation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस के तर्को पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। फर्द मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर 03 घरेलु गैस सिलेण्डर पाए गए। जांच के समय श्री संजय खां के पास किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र नहीं होना स्वीकार किया। मौके पर घरेलु गैस सिलेण्डर का उपयोग व्यापारिक उपयोग में किया जा रहा था। दस्तावेज व अनुज्ञा पत्र पेश नहीं किए जाने पर घरेलु गैस सिलेण्डर को अवैध मानते हुए जप्त सरकार किये गये। घरेलू गैस सिलेण्डरों के

Signature Not Verified
Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:00 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर डीडवाना–कुचामन सत्यमेव जयते

भण्डारण एवं उपयोग के लिए वैध अनुज्ञप्ति होना आवश्यक है। दौराने जांच मौके पर अथवा न्यायालय हाजा में ऐसी कोई अनुज्ञप्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रकरण में मौके पर की गई कार्यवाही सही प्रतीत होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार की जाती है। प्रकरण में 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय गैस का समपहरण (Confisacation) किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में जब्तसुदा 03 घेरलू गैस सिलेण्डर मय गैस का नियमानुसार कीमतन निस्तारण किये जाने का आदेश दिया जाता है एवं निस्तारण से प्राप्त राशि को राजकीय राशि घोषित किया जाता है। जिला रसद अधिकारी, डीडवाना–कुचामन को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

(पुखराज सेन, IAS)
जिला कलक्टर एंव जिला मजिस्ट्रेट
डीडवाना–कुचामन
जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pukhraj Sen
Date: 2024.12.04 15:11:00 IST
Reason: SelfAttested